OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), BIHAR
(LOCAL AUDIT WING), PATNA-800001

No. L.A. /Sur./ 411

Date: 02-01-2012

To

The Principal Secretary to the Government of Bihar,
Urban Development and Housing Department,
Vikas Bhawan, Beli Road,
Patna

Sir,

Audit Report No **259/2011-12** on the accounts of **Ara Nagar Nigam** for the period **2010-2011** is enclosed for your kind information and necessary action.

Yours Sincerely,

2/01/2012

Sr. Audit Officer/Surcharge
Local Audit Wing,
Bihar, Patna

Encl: - As above

(लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0 259/2010–11)

1.प्रस्तावना

आरा नगर निगम के वर्ष 2010–11 के लेखाओं का नमूना लेखा परीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा के एक लेखा परीक्षा दल द्वारा दिनांक 11.1011 से 05.11.11 की अवधि में किया गया।

2. प्रशासन

		नाम	अवधि
1	महापौर	श्री अवधेश यादव	01.04.10 से 31.03.2011 तक
2	उपमहापौर	–	–
3	नगर आयुक्त	श्री देवेन्द्र प्रसाद	01.04.10 से 01.07.10 तक
		श्री हरेन्द्र शर्मा	01.07.10 से 01.02.11
		श्री अरूण कुमार	01.02.11 से 31.03.11 तक

3. लेखा परीक्षा की परिसीमा

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत व नमूना जॉच की गई अभिलेखों की सूची परिशिष्ट सं0–I एवं नगर निगम द्वारा असंधारित अथवा अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची परिशिष्ट सं0–II पर दी गई है।

4. लेखा परीक्षा की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियॉ

कमांक	विवरण	राशि	कंडिका सं0
(i)	सैरातों की बंदाबस्ती नहीं होने/विभागीय वसूली होने से राजस्व की क्षति	8.87 लाख	12
(ii)	नक्शा शुल्क की वसूली नहीं	2.52 लाख	13
(iii)	निधियों का अवरोधन	55.37 लाख	23
(iv)	ठोस अवशिष्ट प्रबंधन	10.09 लाख	25
(v)	संवेदक को अदेय लाभ	3.54 लाख	28
(vi)	निरर्थक व्यय	12.50 लाख	29
(vii)	एन0 जी0 ओ0 को भुगतान	8.85 लाख	30

5. आन्तरिक लेखा परीक्षा

पटना नगर निगम अधिनियम 1951 एवं बिहार नगर पालिका अधिनियम 1922 एवं उनके अन्तर्गत बनी नियमावली मे निगम लेखा की आन्तरिक जॉच का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, फिर भी बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 के नियम 20,30 तथा 66 तथा बिहार नगरपालिका लेखा (रिकभरी ऑफ टैम्सेस) नियमावली के नियम 30, 37 एवं 39 में पदाधिकारियों द्वारा आंतरिक जॉच के कुछ ऐसे उपबंध हैं जिससे निगम लेखा के संधारण एवं समन्वय पर पूर्ण नियंत्रण रखा जा सकता है। अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि उक्त जॉच प्रक्रिया का कार्यान्वयन निगम प्रशासन द्वारा पूर्णतः नहीं किया गया जिससे अनेक त्रुटियाँ व अनियमितताएँ, जिनकी विवेचना आगे की गई, दृष्टिगोचर हुई।

अतः भविष्य में नियमित अन्तराल पर जॉच किया जाय ताकि अनियमितताओं की पुनरावृति न हो तथा त्रुटियों का परिमार्जन हो सके।

6. पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

पूर्व के प्रतिवेदनों में की गई टिप्पणियॉ एवं लेखापरीक्षा के क्रम में की गई बारंबार लिखित एवं मौखिक अनुरोध के बावजूद लम्बित आपत्तियों के निष्पादन में कोई कारवाई नहीं की गई। अनुपालन के अभाव में लेखा परीक्षा का प्रयोजन ही निष्फल प्रतीत होता हैं।

अतः नगर निगम के पदाधिकारियों का ध्यानाकर्षण लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में लंबित कंडिकाओं के अनुपालन हेतु कारगर कदम उठाने की ओर किया जाता है।

7. आय–व्यय विवरणी

आरा नगर निगम सरकार से प्राप्त अनुदान एवं स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त आय से वित्तपोषित होती है। वर्ष 2010–11 से संबधित आय–व्यय विवरणी का सार इस प्रकार है।

प्रारंभिक शेष	**188403493.00**
वर्ष भर में प्राप्त आय	124731117.70
प्राप्ति का कुल योग	313134610.70
योजना में व्यय	28456379.00
स्थापना व अन्य मद में व्यय	72688656.70
कुल व्यय	101145035.70
अन्त शेष	211989575.00

(मद वार विवरणी परिशिष्ट सं0 III पर)/ मदवार विवरणी को देखने से स्पष्ट होता है कि आरा नगर निगम द्वारा स्वयं के स्त्रोत से प्राप्ति के विरुद्ध स्थापना एवं अन्य मद में व्यय (रू0 7.27 करोड़) अधिक है जो निगम के खस्ता हाल का द्योतक है।

(ख) अन्तशेष एंव समाधान विवरणी

क्रम सं0	**रोकड़ पंजी का नाम**	**रोकड़ पंजी का अन्तशेष**	**संबंधित मद जिसकी राशि की प्रविष्टि रोकड़ पंजी में थी**	**संबंधित बैंक खाता सं0 एवं बैंक का नाम**	**बैंक पास बुक के अनुसार अन्तशेष**	**अन्तशेष का अन्तर**
(i)	पी0 एल0 एकाउन्ट योजना	128710341.00	पथ निर्माण, पोखर, 12 वॉ वित्त, 13 वॉ वित्त, जलवाही शौचालय, चापाकल	पी0 एल0 एकाउन्ट सं0 844800 1020000	128710341.00	शून्य
(ii)	पी0 एल0 एकाउन्ट लेखापाल	42270396.00	मुद्रांक शुल्क, पार्षद भत्ता, वेतन भत्ता, मैचिगं– ग्रांट जनगणना, स्वयं का	–तथैव–	42270396.00	शुन्य

			स्त्रोत			
(iii)	वी0 आ0 जी0 एफ0 एवं अन्य	39373827.00	वी0 आर0 जी0 एफ0, कबीर अन्तशेष्टी, सीटीजन	एक्सिस बैंक खाता सं0 911010015693163 ओरियंटल बैंक, आरा 12162151007132	43550912.00	4177085.00
(iv)	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	5537447.00	----	यूनियन बैंक, आरा, खाता सं0 393202010005923	5537447.00	शून्य

अंतर का समाधान विवरणी बनाकर अगले अंकेक्षण में दिखलाया जाए।

8. <u>पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष</u>

नगर निगम आरा को वर्ष 2010–11 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष मद में कुल 27196785 रूपये की प्राप्ति हुई जिसकी विवरणी इस प्रकार है

कम सं0	चेक सं0/ तिथि	राशि	जमा होने की तिथि	संबंधित बैक खाता सं0 एवं बैक का नाम जिसमे राशि जमा की गई
1	198391 / 12.04.10	13602781.00	08.05.10	A/c No- 1216215100713 OBC, Ara
2	198400 / 04.02.10	13594004	08.12.10	-do-
	कुल–	27196785.00		

निगम के पास कुल राशि ₹ 40856470 / – (प्रारंभिक शेष–13659685) मे से अंकेक्षण अवधि में ₹ 1512772 / – का व्यय किया गया, उपर्युक्त अवधि में 86 योजनाओं का टेडंर निकाला गया एवं विभिन्न संवेदको के साथ एकरारनामा किया गया लेकिन योजनाओ का कियान्वयन प्रारंभ नहीं किया गया। अन्तशेषो की विवरणी इस प्रकार है।

रोकड़ पंजी का अंतशेष	बैक खाता का अन्तशेष	अन्तर	अभ्युक्ति
39343698	43550912	4207214	O.B.C A/c- 1216215100713 ₹ 33523235.00 ₹ 10027677.00 योग 43550912.00 (Axis Bank A/c No- 91101001569316)

उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, आरा को उपयोगिता प्रमाण–पत्र (पत्रांक 985 दिनांक–24.03.11) भेजा गया जिसमें अवशेष राशि के रूप में ₹39343698 / –दर्शाया गया। SB A/c No-12162151007132 मे से ₹1 करोड़ रूपये का स्थानांतरण (चेक सं0–450229 दिनांक 16.03.11) एक्सिस बैक, आरा में किया गया।

(32)

अंकेक्षण आपत्ति

(i) मार्च 2011 तक बचत खाता मे ₹4.36 करोड़ रूपया अवशेष थी। इतनी बड़ी राशि के खर्च नहीं करने का कारण अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया। इसे अगले अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया।

(ii) एक्सिस बैंक, आरा में राशि का स्थानांतरण करना गलत था, जिसे स्पष्ट नही किया गया। इसे भी अगले लेखापरीक्षा में स्पष्ट किया जाय।

(iii) रोकड़ पंजी एवं बैंक खाता के अन्तशेष का अन्तर 4207214.00 था। समाधान विवरणी बनाकर अंकेक्षण में नहीं दिखाया गया। इसे आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाये।

(iv) बचत खाता में प्राप्त व्याज की राशि की प्रविष्टि रोकड़पंजी में नहीं की गई थी जबकि सरकार द्वारा दिए गए दिशा–निर्देश के अनुसार व्याज की राशि भी अनुदान का हिस्सा है एवं दोनों की सम्मिलित राशि से योजना लेनी चाहिए थी, जब कि आरा नगर निगम द्वारा ऐसा नहीं किया गया है।

9. बजट

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 82 के तहत मुख्य नगरपरलिका पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष का बजट तैयार किया जायगा जिसमें विभिन्न लेखा शीर्षो के अधीन प्राप्त और उपगत किये जाने वाले नगरपालिका के आय–व्यय को पृथक रूप से दर्शाया जाएगा।

उपर्युक्त अधिनियम की धारा 84 के तहत नगरपालिका, बजट प्राक्कलन और इस पर सशक्त स्थायी समिति की अनुशंसा, यदि कोई हो, पर विचार करेगी तथा प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक ऐसे परिवर्त्तनों के साथ आगामी वर्ष हेतु बजट प्राक्कलन अंगीकार करेगी साथ नगर निगम के मामले में राज्य सरकार के पास भेजा जायगा जिसे वह परिवर्तन के साथ अथवा बिना परिर्वतन के उस वर्ष के मार्च की 31 तारीख को नगरपालिका को लौटा दिया जायगा ।

आरा नगर निगम द्वारा बजट से संबधित संचिका अंकेक्षण में प्रस्तुत नही की गई सिर्फ बजट प्रति उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2010–11 में 19.10 लाख रूपये धाटे का बजट दर्शाया गया (अनुमानित आय ₹5552.00 लाख एवं अनुमानित व्यय ₹5571.00 लाख) इसे बोर्ड की हुई बैठक में कब पारित कराया गया साथ ही सरकार को कब भेजा गया, इस संबंध में अंकेक्षणा को नहीं बताया गया। बजट के कुछ उदाहरण इस प्रकार है।

क्रम सं0	शीर्ष	वर्ष 2009–10 में वास्तविक प्राप्ति	वर्ष 2010–11 में अनुमानित आय	वर्ष 2009–10 में वास्तविक व्यय	वर्ष 2010–11 में अनुमानित व्यय
(i)	गृहकर	40.37 लाख	157.62 लाख	–––	–––
(ii)	जलकर	40.37 लाख	157.62 लाख	–––	–––
(iii)	कर्मचारियों के वेतन आदि पर व्यय	–––	–––	268.64 लाख	500.00 लाख
(iv)	अवकाश प्राप्त कर्मियों का	–––	–––	4.02 लाख	62.00 लाख

	सेवान्त लाभ					

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि बजट वास्तविकताओं पर आधारित नहीं था। भविष्य में बजट बनाते समय वास्तविक ऑकड़ो को ध्यान में रखा जाये।

10. शास्ति की वसूली नही (होल्डिंग टैक्स)

नगर विकास विभाग, पटना के पत्रांक संख्या 1938 दिनांक 25.02.10 में वर्णित है कि अगर होल्डिंग टैक्स 01.02.10 तक जमा नही होती है तो प्रति मास 2% की दर से शास्ति के रूप में वसूल की जाएगी।

होल्डिंग टैक्स जॉच करने पर पता चला कि निम्न व्यक्तियों जिनका विवरण नीचे दिया गया है से शास्ति नहीं लिया गया था:–

कम सं0	नाम	रसीद न0	वसूलनीय राशि	वसूल की राशि	अन्तर	दिनांक
1	अजय कृष्ण अग्रवाल	15041	1252.00	1138.00	114	08.07.10
2	श्रीमति मीना सिन्हा	14604	5982.00	5438.00	544	24.06.10
3	श्री मालती देवी	14607	2200.00	2000.00	200	27.06.10
4	श्रीमति मीना सिन्हा	12899	5982.00	5438.00	544	07.06.10
				योग	1402.00	

शास्ति के रूप में वसूल की जाने वाली राशि रू0 1402.00 में 114.00 रूपया अंकेक्षण के दौरान जमा किया गया (मनी रसीद सं0 9022 दिनांक 05.11.11)। शेष राशि रू0 1288.00 की वसूली संबंधित व्यक्तियों से कर निगम कोष में जमा करवाया जाय तथा इसे आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाये।

11. सुरक्षित जमा का गलत निर्धारण

उप निदेशक भू–लगान मानकीकरण, पटना के पत्रांक 29 दिनांक 15.01.98 द्वारा सभी प्रकार के सैरातों के सुरक्षित जमा निर्धारण हेतु निर्देश दिया गया था कि सैरातों की बन्दोबस्ती हेतु सुरक्षित जमा तीन वर्षों पर निर्धारित की जाएगी जिसमें विगत वर्ष की सुरक्षित जमा राशि /बन्दोबस्ती राशि जो भी अधिक हो, उसमें 15 प्रतिशत की वृद्वि कर दी जाएगी।

सरदार बस पड़ाव की बन्दोबस्ती वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 में नहीं हुई। उसके जगह पर विभागीय वसूली की गई जो कमशः ₹ 1329600.00 एवं ₹1339500.00 थी। वर्ष 2009–10 में 2009–10 सहित अगले तीन वर्षों के (09.10.10 –11.11.12) के लिए सुरक्षित जमा का निर्धारण किया जिसमें वर्ष 2007–08 एवं वर्ष 2008–09 में हुई विभागीय वसूली को आधार बनाया गया। (1329400+1339500)÷2=₹1334450.00 इसमें 15% की वृद्वि कर (1334450+1334450 का 15%) 1534617.50 को वर्ष 2009–10 के लिए सुरक्षित जमा का निर्धारण किया गया। इसी को वर्ष 2010–11 के लिए सुरक्षित जमा माना गया। (बोर्ड की दिनांक 25.05.09 की बैठक में प्रस्ताव सं0 8 मे)।

(30)

अंकेक्षण आपत्ति

(1) विभागीय वसूली को सुरक्षित जमा निर्धारण हेतु आधार बनाया जाना गलत था।

(2) बन्दोबस्ती में सुरक्षित जमा निर्धारण के शर्तो के अनुसार पूर्व वर्ष 2009 में विभागीय वसुली न0 1339550 हुई थी इसमें 15 प्रतिशत वृद्वि करने के बाद रू0 1540483.00 होता है जिसे वर्ष 2009–10 के लिए सुरक्षित राशि घोषित की जानी चाहिए थी जबकि ₹1534617.50 घोषित गई। इस प्रकार रू0 5865.50 कम करके सुरक्षित जमा का निर्धारण किया गया।

(3) वर्ष 2010–11 में पूर्व के वर्ष के सुरक्षित जमा रू0 1534617.50 को आधार बनाकर बंदोबस्ती श्री अरबिन्द कुमार चौधरी, पिता स्व0 राम निवास चौधरी, कतीरा के साथ रू0 1535100.00 में की गई। प्रथम बैठक में मात्र दो वक्ताओं ने भाग लिया उसी दोनों में से अधिकतम बोली वाले वक्ता श्री अरबिन्द चौधरी के साथ बन्दोबस्ती की गई जो नियमानुकूल गलत था।

बन्दोवस्ती हेतु पर्याप्त प्रचार–प्रसार होना चाहिए था साथ ही बोली लगाने हेतु कम से कम तीन बार तिथि निर्धारित की जानी चाहिए थी। आनन–फानन में बन्दोवस्ती की गई जो विभागिय जॉच का विषय है।

इस प्रकार कम सुरक्षित जमा राशि निर्धारित करने के कारण आरा नगर निगम को रू0 5865.50 की न्यूनतम हानि हुई जो दोषी व्यक्तियों से वसूलनीय है। साथ ही लगातार तीन वर्षो (07–08, 08–09,09–10) तक विभागीय वसूली करवाना भी संदेहास्पद था।

उपर्युक्त सभी बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण अगले अंकेक्षण में दी जाय।

12. <u>सैरातों की बन्दोवस्ती</u>

बस पड़ाव एवं अन्य सैरात की बन्दोवस्ती में विभागीय वसुली कराये जाने अथवा कुछ मामलों में नही कराये जाने से नगर निगम आरा को रू0 886606.00 की हानि हुई। विवरणी इस प्रकार है

क्रम सं0	सैरात का नाम	10–11की सुरक्षित जमा राशि	विभागीय वसुली	हानि
1	बिहारी मील बस पड़ाव	787750.00	123494.00	664256.00
2	बहिआरा हाता के अन्दर ताड खजुर का पेड़	28809.00	3000.00	25809.00
3	बहिआरा हाता के कृषि योग्य जमीन	3830.00	1500.00	2330.00
4	जगजीवन मार्केट के अन्दर शुलभ शौचालय	12823.00	शून्य	12823.00
5	सिविल कोर्ट के अन्दर शुलभ शौचालय	29095.00	शून्य	29095.00
6	समाहरणालय स्थित शुलभ शौचालय	38354.00	शून्य	38354.00
7	मुख्तार खाना के अन्दर शुलभ शौचालय	6761.00	शून्य	6761.00

8	रमना मैदान (उत्तरी भाग) स्थित शुलभ शौचालय	267542.00	160364.00	107178.00
			कुल	886606.00

उपरोक्त वर्णित बस पड़ाव एवं अन्य खैरात की बन्दोवस्ती न कर विभागीय वसूली कराई गई। कुछ मामलों में विभागीय वसूली भी नहीं हुई जिससे नगर निगम आरा को रू0 886606.00 की हानि हुई । बन्दोबस्ती हेतु लाउड़स्पीकर के साथ पर्याप्त प्रचार प्रसार भी नहीं किया गया था। जिसके कारण बन्दोबस्ती नहीं हुई एवं विभागीय वसूली की गई जिसके निर्धारित सुरक्षित जामा राशि से भी कम वसूली हुई। इस प्रकार विभागीय वसूली होना अथवा कुछ मामलों में नहीं होने से आरा नगर निगम को रू0 886606.00 की राजस्व की क्षति हुई जो संबंधित दोसी व्यक्तियों से वसूलनीय है। भविष्य में विभागीय वसूली पर रोक लगाया जाय।

13. नक्शा शुल्क की वसूली नहीं

आरा नगर निगम वोर्ड की बैठक दिनांक 27–02–2008 के प्रस्ताव सं0 8 में नक्शा शुल्क दर का निर्धारण किया गया था जो आवासीय उपयोग के लिए 1 रूपये प्रति वर्गफीट एवं व्यवसायिक उपयोग के लिए 2 रूपये प्रति वर्गफीट था।

नगर विकास एवं आवास विभाग (बिहार सरकार) के पत्रांक 2359/न0 वि0 एवं आ0 वि0 दिनांक 22–06–2009 की कंड़िका सं0 2(च) में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आर्किटेक्ट ही नागरिक से नगर निकाय के behalf में Development fee, Building fee एवं अन्य fee जो नगर निकाय चार्ज करता है लेगा एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय संबंधित नगर निकाय में राशि जमा करेगा।

कार्यालय आरा नगर निगम के ज्ञापंक 61 दिनांक 15.01.2011 द्वारा श्री राकेश कुमार रंजन को नक्शा शुल्क के रूप में रू0 252236.00 जमा करने का नोटिस दिया गया था। नक्शा शुल्क के रूप में अक्टूबर 2011 तक राशि रू0 2522361.00 के कम जमा होने का कारण अंकेक्षण में नही बताया गया। अंकेक्षण में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि आर्किटेक्ट द्वारा नियत–कालिक निरीक्षण रिर्पोट दिया जाता रहा अथवा नहीं, निबंधित वास्तुकार द्वारा दिए गये प्रतिवेदन की जॉच विभाग के स्तर पर हुई अथवा नहीं। नक्शा शुल्क की बकाया राशि रू0 252236.00 की वसूली संबंधित व्यक्तियों से कर निगम के खाता में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया गया।

14. उपकर (Cess) की कटौती नहीं

वर्ष 2007–08 में बिहार भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण वार्ड की स्थापना की गई थी जसमें सभी प्रकार के निर्माणा कराने वाले केन्द्र व राज्य सरकार के विभागों तथा निजी क्षेत्र में दस लाख से अधिक लागत से निर्माण होने वाले व्यक्तिगत भवन, अपार्टमेंट पर कुल लागत राशि का एक प्रतिशत राशि सेस के रूप में काटकर निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी कार्यों के संचालन हेतु कल्यान वोर्ड में जमा करना था।

इस बावत माननीय उच्चतम न्यायालय (रिट पटीशन सिविल सं0 318/2006) द्वारा भी निर्देश दिया जा चुका है। निर्धारित अवधि में सेस नहीं जमा करने पर दो प्रतिशत सेस लिए जाने का प्रावधान है। प्रत्येक निविदा में एक

(28)

प्रतिशत सेस की राशि कुल लागत पर काटे जाने का उल्लेख निविदा में अवश्य किया जाय। आरा नगर निगम द्वारा उपर्युक्त निर्देशों का पालन नहीं किया गया। संबंधित विवरण निम्नलिखित हैः–

क्रम सं0	मद	वर्ष	योजना संख्या	संवेदक को किया गया कुल भुगतान	सेस की राशि @ 1%	शास्ति सहित सेस की राशि @ 2%
(i)	वी0 आर0 जी0 एफ0	2008–09	2/अभि0–2009–10	8462354.00	611645.00	1223290.00
(ii)	पथ निर्माण एवं जिर्णोद्वार	2008–09	8/अभि0–2009	14593083.00		
(iii)	––तथैव––	–––	4/अभि0–2009	28040315.00		
(iv)	पोखर, धाट निर्माण/जीर्णोद्वार	–––	6/अभि0–2010	10068750.00		
			योगः–	61164502.00		

निगम कार्यालय द्वारा जबाब में बताया गया कि सरकार से दिशा–निर्देश प्राप्त होने के बाद वसूली की कार्रवाई की जाएगी। संबंधित जबाब अंकेक्षण में मान्य नहीं है।

संबंधित दोषी व्यक्तियों से उपकर (Cess) की राशि रू0 1223290.00 की वसूली कर सरकार से संबंधित शीर्ष में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखलाया जाय।

15. दुकान का आवंटन नहीं

दुकानों के मांग एवं वसूली पंजी के जॉच में पाया गया कि वर्ष 2002 में निर्मित 19 दुकानों का आवंटन आरा नगर निगम द्वारा नहीं किया गया था। समय पर दुकानों का आवंटन नहीं होने से आरा नगर निगम को रू0 466200.00 की हानि हुई। अतः इसके लिए जिम्मेदारी सुनिश्चित किया जाये तथा संबंधित दोषी व्यक्तियों से राजस्व की राशि की वसुली की जाये।

विवरणी निम्न है।

क्रम सं0	दुकान सं0	कुल दुकान की सं0	दुकान का साइज	मासिक किराया	किराया बाकी	कुल किराया बॉकी
1	3,37,3840 एवं 46 (बस स्टैन्ड)	5	5'X10'	200.00	अप्रैल 06 से दिसम्बर 10 तक(3 दुकान) अप्रेल, 06 से मार्च 11(2 दुकान)	582136200.00
2	6,32,33,53 (दिसम्बर' 11 तक) 45,48, मार्च' 11 (बस स्टैन्ड)	6	10' X10'	400.00	अप्रैल 06 से दिसम्बर 10 तक (4 दुकान) अप्रैल 06 से मार्च11(,2 दुकान) 57 माह, 60 माह	139200.00
3	52,54,56,67,68,69,70 एवं 77 (जैन कालेज का इर्स्टन गेट)	8	10' X8'	320.00	अप्रैल 02 से दिसम्बर 10 तक (10 माह)	268800.00
					योगः–	466200.00

16. शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेस

शिक्षा सेस एवं स्वास्थ्य सेस सरकार के राजस्व का हिस्सा हैं। निगम द्वारा गृह कर के आधी राशि को शिक्षा सेस एवं स्वास्थ्य सेस के रूप में होल्डिंग धारको से ली जाती है। नियमानुसार निगम वसूली चार्ज के रू0 में 10 प्रतिशत राशि काटकर शेष राशि को सरकार से संवंधित शीर्ष में जमा करना था। आरा नगर निगम द्वारा ऐसा नहीं किया गया । विवरणी इस प्रकार हैः–

क्रम सं0	मद	वर्ष 2010.11 में वसुली गई राशि रू0	10 प्रतिशत राशि वसुंली चार्ज के रूप में	शेष राशि जो सरकार के संबंधित शीर्षो में जमा करना था।
1	शिक्षा सेस	1252563.88	125256.38	1127307.50
2	स्वास्थ्य सेस	1252563.88	125256.38	1127307.50
				योगः–2254615.00

रू0 22546151.00 को सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाये।

17. मोबाईल टावर

आरा नगर निगम में मोबाइल टावर से संबंधित मांग व वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था। निगम कार्यालय द्वारा उपलब्ध सूचना विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2006–07 से 2010–11 तक 5 कम्पनियों के 29 मोबाईल टावरों के विरूद्ध कुल रू0 4728000.00 बकाया था जिसकी विवरण निम्नलिखित हैः–

क्रम सं0	कम्पनी का नाम	कुल सं0	बकाया राशि रू0
1	आदित्य बिरला टेलिकम लि0	12	1528000.00
2	डिसनेर वायरलेस लि0 (एयरटेल)	03	600000.00
3	भारती टेल भीजर्स लिमिटेड	03	900000.00
4	टाटा टेलीकम सर्विसेज	04	1080000.00
5	वयरलेस टी0 टी0 इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	07	620000.00
	योगः–	29	4728000.00

निगम कार्यालय द्वारा बकाया की वसूली हेतु संबंधित कम्पनियों को नोटिस निर्गत की गई।वर्त्तमान मे माननीय उच्च न्यायालय पटना (सी0 डब्लू जे सी 8627/2009) के निर्माण के आलोक में वसूली की कारवाई स्थगित है माननीय उच्च न्यायालय के निर्माण के आलोक में भविष्य में वसूली की कारवाई सुनिश्चित कर अगले लेखा परीक्षा में दिखलाया जाय।

18. टिन टिकट

नगर निगम आरा द्वारा रिक्शा बैलगाड़ी एवं टमटम आदि के निबंधन शुल्क के रूप में निर्धारित दर से राशि वसूलने का प्रावधान है। इस वास्ते टिन टिकट की खरीदारी (छपाई/मुद्रण) होती है निगम द्वारा वर्ष 2010–11 के लिए टिन टिकट की खरीदारी हुई जो भंडार पंजी के पृष्ट सं0 274–275 पर दर्ज थी।

टिन टिकट के खरीददारी, बिक्री एंव अवशेष के सम्बन्ध में विवरणी निन्नलिखित है

कम सं0	टिन टिकट की आइटम	कुल खरीदी सं0	खरीद दर	बेची गई सं0	बिकी दर प्रतिपीस	टिन टिकट की शेष सं0 जो बिकी नहीं	शेष टिन टिकट का लागत/खरीद मुल्य
1	रिक्शा	4000.00	@ 8.50 प्रति	2118.00	@ 25	1882.00	15997.00
2	टमटम	250.00	"	108.00	@ 30	142.00	1207.00
3	बैलगाड़ी	20.00	"	05.00	@ 15	15.00	127.50
4	टायर गाड़ी	10.00	"	06.00	@ 16	04.00	34.00
5	साइकिल	5000	@ 3. 50प्रति	300.00	@ 5	4700.00	16450.00
	योग	9280		2537		6743	33815.50

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि क्रय किये गये टिन टिकट में जिस आधी से भी कम मात्रा का बिकी हो सका। इससे सपष्ट है कि टिन टिकट को बिकी का अनुमान सही नही था जिस को नजर अंदाज करते हुए उसकी खरीददारी छपाई का कार्य होता है जो निगम का अविवेकपूण निर्णय है। टिन टिकटों के शेष मात्रा का उपयोग अगले वर्ष के लिए नहीं होता है। निगम के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण टिन टिकटों के अवशेष मात्रा जिसका लागत मूल्य रू0 33815.00 था, के राजस्व की क्षति हुई। अतः इस राजस्व हानि के संबंध में जिम्मेदारी सुनिश्चित किया जाये तथा जिम्मेदार व्यक्ति से इसकी वसूली की जाये टिन टिकट की निलामी अगर हो तो बेहतर राजस्व की प्राप्ति हो सकती है साथ ही साथ उसके बिकी की दर में समय–समय पर संशोधन भी किया जाय।

19. बकाया मकान कर

मकान कर से संबंधित मांग व वसूली पंजी का संधारण सही ढंग से नहीं किया गया था अतएव मार्च 2011 तक बकाया मकान कर की गणना अंकेक्षण में नहीं किया जा सका। निगम कार्यालय द्वारा उपलब्ध सूचना विवरणी के आधार पर बकाया मकान कर की विवरणी इस प्रकार है

कुल मांग(बकाया एवं हाल सहित मार्च 2011 तक)	मार्च 2011 तक वसूल की गई राशि	कुल बकाया मकान पर (मार्च,2010 तक)
49152948.00	10020511.00	39132437.00

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट सं0–IV पर)

बकाया मकान कर की वसूली हेतु उठाए गए कदमों से अगले लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाय। मकान कर से संबंधित मांग व वसूली पंजी का संधारण सही तरीके से कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

20. व्यवसायिक अनुज्ञप्ति शुल्क

व्यवसायिक अनुज्ञप्ति शुल्क की मांग एवं वसूली पंजी अंकेक्षण के जॉच के कम में पाया गया कि विभिन्न व्यवसायियों पर वर्ष 2010–11 में रू0 5000.00 (परिशिष्ट–V) अनुज्ञप्ति शुल्क का बकाया है।

बकाया राशि की वसूली कर उसे आगमी अंकेक्षण को दिखाया जाये।

21. खतरनाक व्यवसाय के अनुज्ञप्ति शुल्क बकाया

खतरनाक व्यवसाय से संबधित मांग व वसूली पंजी का संधारण नियमानुसार नहीं किया गया था। जिससे वास्तविक आकड़ो की गणना नहीं किया जा सका। निगम कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरणी के अनुसार मार्च, 2011 तक रू0 464600.00 बकाया था।(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट सं0 VI पर)। खतरनाक व्यवसाय के अनुज्ञपति शुल्क के वसूली नहीं किये जाने के कारणों से लेखा परीक्षा को अवगत नहीं कराया गया। अतः बकाया राशि की वसूली कर निगम कोष में जमा करवाया जाय।

22. सरकारी/अर्द्ध सरकारी भवनों पर बकाया

सरकारी /अर्द्ध सरकारी भवनों से संबंधित मांग व वसूली पंजी का संधारण सही तरीके से नहीं किया गया था। निगम कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरणी के अनुसार मार्च 2011 तक रू0 8601066.00 बकाया था। (विस्तृत विवरणी परिशिष्ट सं0 VII पर)।

बकाया राशि के वसूली हेतु यथाशीघ्र ठोस कदम उठाया जाये तथा उपरोक्त राशि को वसूल कर, संबंधित दस्तावेज आगामी अंकेक्षण में उपलब्ध कराया जाये।

23. निधियों का अवरोधन

स्वर्ण जयंती रोजगार योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसमें वर्ष 1997–98 से 2010–11 तक कुल ₹ 21858283.00 का आवंटन प्राप्त हुआ जिसमें से मार्च 2011 तक ₹ 17606674.00 का व्यय किया गया एंव अनुपयुक्त अनुदान ₹4251609.00 दर्शाया गया। निगम कार्यालय द्वारा नगर विकास विभाग, बिहार सरकार को उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजा गया (पत्रांक 261 दिनांक 03.02.11)।

प्राप्त अनुदान राशि यूनियन बैंक आरा (खात सं0 393202010005923) में जमा किया गया था जिसका अन्तशेष 31.03.11 को ₹ 5537447.00 था जो रोकड़पंजी के अवशेष के बराबर था। इस प्रकार अनुपयुक्त अनुदान के रूप में ₹ 1285838.00 कम दर्शाया गया जो व्याज के रूप में प्राप्त राशि थी। वर्ष 2006–07 से इस मद में किसी प्रकार का आवंटन प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार 55.37 लाख रूपये को लगभग 5 वर्षो से अवरूद्व कर रखा गया जिससे उन उद्वेश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी जिसके लिए राशि उपलब्ध कराई गई थी इस योजना का उद्रदेश्य गरीब परिवारों को प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वावलंबी बनाना था ताकि वे स्वयं भविष्य में जीविकापार्जन का साधन ढूढ़ सके। निगम कार्यालय द्वारा जबाब में बताया गया कि सरकार से दिशा–निर्देश प्राप्त कर राशि की व्यय की जाएगी अथवा लौटाने की प्रकिया अपनाई जाएगी। जबाब स्वतः धोषित करता है कि राशि अवरूद्व करके रखी गई।

24. वेतन के रूप में अतिरिक्त देयता

कार्मिक एंव प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना सं0 18326 दिनांक 13.10.09 द्वारा श्री शिवदानी सिंह वि0 प्र0 से0 की सेवा अपर नगर आयुक्त पद पर पदस्थापना हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग को सौपा गया। उक्त अधिसूचना के आलोक में श्री सिंह द्वारा 19.10.09 (अपराहन) में अनुमंडल पदाधिकारी, विक्रमगंज का प्रभार सौप कर दिनांक 20.10.09 (पूर्वाहन) को नगर विकास विभाग की अधिसूचना संख्या 5560 दिनांक 24.11.09 द्वारा श्री सिंह

(24)

को अपर नगर आयुक्त, आरा नगर निगम के पद पर पदस्थापित किया गया एवं उनके द्वारा 25.11.09 को अपराहन में प्रभार ग्रहण किया गया। इस प्रकार 20.10.09 से 25.11.09 तक श्री सिंह बिना प्रभार के पदस्थापन के प्रतिक्षा में बने रहे जिसे नगर विकास एवं आवास विभाग (ज्ञापांक 1870/न0 वि0 एवं आ0 वि0 दिनांक 18.04.10) द्वारा विनियमित किया गया जो निम्न प्रकार है

1. दिनांक 20.10.09 से 25.10.09 पारगमन काल

2. दिनांक 26.10.09 से 25.11.09 तक पदस्थापन की अनिवार्य प्रतिक्षा में अक्टूबर, 2009 माह का वेतन उन्होंने विक्रमगंज अनुमंडल में प्राप्त किया था।दिनांक 1.11.09 से 25.11.09 तक की अवधि का वेतन रू0 44712.00 (अभिश्रव सं0 203 दिनांक 14.06.10) का भुगतान आरा नगर निगम कार्यालय द्वारा किया गया जो अनियमित रूप से प्रभारित किया गया।

उपर्युक्त अवधि के वेतन के रूप में दी गई राशि रू0 44712.00 की क्षतिपूर्ति संबंधित नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार से प्राप्त कर निगम कार्यालय में जमा करवाया जाय।

25. ठोस अवशिष्ट के प्रबंधन

बारहवीं वित्त आयोग अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में आरा नगर निगम को अनुदान के रूप में किसी प्रकार की राशि की प्राप्ति नहीं हुई। पूर्व में प्राप्त राशि से सरकार के मार्गदर्शन के आलोक में राशि खर्च की गई।

नगर विकास विभाग, बिहार सरकार (पत्रांक 3191/न0 वि0 वि0 दिनांक 28.09.05) द्वारा भेजे गए पत्र की कंडिका 5 के अनुसार स्वीकृत राशि का 50 प्रतिशत राशि ठोस अवशिष्ट के प्रबंधन पर व्यय किया जाना था।

अभिश्रवों के नमूना जॉच में पाया गया कि आरा नगर निगम द्वारा द्वादश वित्त आयोग की अनुदानित मद में से रू0 1009478.00 का व्यय सफाई उपकरणों की खरीद, भाड़े पर रखी गई गाड़ी का भुगतान, पुराने गाड़ी के कल–पूर्जे की मरम्मति गाड़ी में तेल की आपूर्ति एवं गाड़ी के सर्विसिंग इत्यादि कार्यो पर किया गया। (विवरणी परिशिष्ट सं0 VIII पर)।

उपर्युक्त खर्च के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के मूल उदेश्यों की अवहेलना की गई एवं राशि का विचलन कर अन्य मदों पर व्यय किया गया।

निगम कार्यलय द्वारा जबाब में बताया गया कि राशि का व्यय नगर आयुक्त के दिशा–निर्देश पर की गई एवं अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में भविष्य में इस पर रोक लगाई जायगी।

26. जनगणना कार्य 2011 में पूर्व में कार्यरत प्रगणकों को मानदेय की अवशेष राशि मो0 46500.00

जिला पदाधिकारी सह प्रधान जनगणना पदाधिकारी भोजपुर के पत्रांक 79/दिनांक 21.02.11 द्वारा 392 जनगणना प्रगणकों @(₹ 1500/ प्रतिव्यक्ति) के भुगतान हेतु 588000.00 रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ। नगर निगम आरा द्वारा स्वयं (चेक सं0 983809 दि0 28.03.11) द्वारा मो0 586500.00 की निकासी की गई जिसमें कुल 360 प्रगणकों को मात्र, 540000.00 रूपये का भुगतान माह अक्टूबर 2011 तक किया गया। शेष राशि ₹ 46500.00 (31 प्रगणकों) रोकड़पाल के पास लगभग 6 महीनों से पड़ा था।

संबंधित राशि रू 46500.00 को निगम कोष में दिनांक 24.10.11 को अंकेक्षण के दौरान जमा करवाया गया (एक्सिस बैंक, आरा खाता सं0 911010005216417 4) जिसमें निगम की दैनिक वसूली की राशि जमा होती है) इन प्रकरणों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु आवश्यक कार्यवाई किये जाने की आवश्यकता है

27 दुकान का बकाया किराया

दूकानों से संबंधित मांग व वसूली पंजी का संधारण नियमानुसार नहीं था। निगम कार्यालय द्वारा उपलब्ध सूचना विवरणी के अनुसार मार्च 2011 तक ₹ 2015438.00 बकाया था (विस्तृत विवरणी परिशिष्ट सं0–IX पर)। दुकानों पर बकाया राशि की वसूली के संबंध में उठाये गये कदम से लेखा परीक्षा को अवगत नहीं कराया गया। बकाया राशि की वसूली कर निगम कोष में जमा करवाया जाय तथा स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार को सूचित किया जाये।

28. संवेदक को अदेय सहायता

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान योजनान्तर्गत लिये गये योजना से संबंधित विवरण निम्नलिखित है।

ग्रुप सं0–2

वार्ड सं0 10 से वार्ड सं0 18 में परिणाम विपत्र में उल्लेखित पथ/गली/नाली/आदि का कार्य।

निविदा की राशि	**3274400.00**
अग्रधन की राशि	65448.00
कार्यादेश की तिथि	24.02.09
कार्य समाप्ति की तिथि	कार्यादेश के दो माह के अंदर
तकनीकि स्वीकृति	5.12.08 (मुख्य नगर अभि0 द्वारा ₹ 1464000.00)
अभिकर्त्ता का नाम	श्री प्रशांत कुमार सिंह
कार्य का नाम	2(G-I) कार्ड –16 में मेन रोड से पुलिस कानून एरिया तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण

उपरोक्त कार्य के कार्यान्वयन के फलस्वरूप भुगतान से पूर्व गुणवता की जाँच (09–06–2009)जिला पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा पाँच सदस्यों से दल द्वारा किये जाने पर उसमें त्रुटियाँ पाई गई। जिला पदाधिकारी ने मुख्य अभियंता को भुगतान पर रोक लगाने तथा जाँच दल द्वारा वर्णित विसंगतियों को दूर कर 10 दिनों में अवगत कराने का आदेश (13–06–2009)। दियां इस आदेश के आलोक में मुख्य अभियंता ने अपने प्रतिवेदन (पत्रांक 232/अभि0 दिनांक20–08–2009) में त्रुटियों में सुधार कर लिये जाने की जानकारी दी तथा भुगतान पर रोक हटाने की अनुशंसा की। मुख्य नगर अभियंता के उपरोक्त पत्र के जवाब में जिला पदाधिकारी भोजपूर ने जवाब में बताया कि गठित जाँच दल के प्रतिवेदन (22–09–2009) के अनुसार, किया गया कार्य प्राक्कलन के अनुरूप नहीं पाया गया तथा उक्त कार्य को प्राक्कलन के अनुरूप कराये जाने हेतु आदेश (पत्रांक 2145गो0 आरा दि0 26–10–2009) जिला अभियंता को दिया) मुख्य जिला अभियंता ने जिला पदा0 के आदेश के अनुपालन में प्रतिवेदन (पत्रांक 247/अभि0 दि0 14–11–2009) दिया कि त्रुटियों का निराकरण कर लिया गया है, साथ ही कार्य में 1 वर्ष तक त्रुटि पाए जाने पर, संवेदक से ही ठीक कराये जाने हेतु सवेदक से शपथ पत्र लेने एवं जमानत की राशि एक वर्ष के बाद विमुक्त करने के शर्त पर राशि के भुगतान की स्वीकृति जारी करने का निर्देश देने का अनुशंसा की।

जिला पदा0 भोजपुर मे मुख्य अभि0 को यह आदेश (ज्ञापांक 2365/भो0 दि0 19–11–2009) दिया कि त्रृटियों के निराकरण के पश्चात भुगतान की प्रक्रिया अपनाई जाये तथा संवेदक से उपरोक्त शपथ पत्र ले लिया जाये।

अंकेक्षण टिप्पणी

(1) अनुबंध की शर्त (5) एवं (12) के अनुसार राष्ट्रीय आपदा इत्यादि अपरिहार्य कारणों के अतिरिक्त किसी विशेष परिस्थिति में ही कार्य की अवधि में विस्तार किया जा सकता था, लेकिन ऐसी किसी भी परिस्थिति के नहीं होने पर भी नियमों के विरूद्व समयावधि में विस्तार दिया गया।

अतः अनुबंध की शर्त (2) के अनुसार मानक समय सीमा में कार्य पूरा नहीं करने पर प्रतिदिन आधा प्रतिशत प्रतिशत (½%) जो अनुबंध लागत के अधिकतम 10 प्रतिशत तक परिसीमित हो आरोपित किया जायेगा। अतः विलम्ब शुल्क के रूप में अनुबंध शुल्क के रूप में ₹32724.00(3272400.00 कर 10%) संबंधित/ जिम्मेदार व्यक्ति से वसुल किया जाये।

(ख) प्राक्कलन में ₹ 3280.00 के सफाई कार्य (Site Clearance) का कोई प्रावधान नहीं था जब कि मापी पुस्तिका पृष्ठ सं0 6 के क्र0 सं0 4 के अनुसार भुगतान किया गया था। अतः इस अनियमित भुगतान की राशि को संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति से वसूल किया जाय।

(ग) 2 G-I ग्रुप का कार्य प्राक्कलन के अनुसार प्रथम तीन मापियों में दर्शाया गया है। शेष रू0 7590.00 (कटौती के बाद) के कार्य (M.BP/56) पुलिस अधीक्षक भोजपुर के मौखिक आदेश पर की गई, का भी प्रावधान प्राक्कलन में नहीं था जो संबंधित /जिम्मेदार व्यक्ति से वसूलनीय है।

(घ) इस कार्य में स्टोन चिप्स 315.02M^3 प्रयुक्त हुए (P/7) जिस पर रायल्ट 50 रूपये प्रति धनमीटर की दर से काटी गई जबकि 100 रूपये प्रति धनमीटर की दर से काटी जानी चाहिए थी । इस प्रकार (100–50)X315.02 अर्थात कुल रूपये 15751.00 की कम कटौती की गई थी जो संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति से वसूलनीय है।

(ड0) संवेदक ने मानक प्राक्कलन के अनुरूप कार्य नहीं किया था। घटिया कार्य (Bad Works) के लिए दंड का प्रावधान नियमानुसार होना चाहिए था लेकिन उन्हें भुगतान आसानी से दिया जाता रहा। तृतीय एवं अंतिम मापी दि0 25.04.09 को कर दी गई थी जो उच्चस्तरीय जॉचदल के बहुत पहले था। कार्य में पुनः सुधार संबंधित कोई भी टिप्पणी मापी पुस्तिका में नहीं था अतः कार्य में सुधार संदेहास्पद प्रतीत होता है जो उच्चस्तरीय जॉच का विषय है। यद्यपि मुख्य अभियंता (आरा नगर निगम) द्वारा जबाब में बताया गया कि संवेदक को पूर्ण भुगतान कर दिया गया अतः अवधि विस्तार के संबंध में काटी गई राशि को वापस करने का प्रयास किया जाएगा। जहॉ तक घटिया कार्य के सम्बन्ध की बात है तो उस संबंध में जबाब में बताया गया कि कार्य मानक के अनुरूप कराया गया होगा तभी तो भुगतान हुआ होगा। उपर्युक्त जबाब अंकेक्षण में मान्य नहीं है क्यांकि मापी पुस्तिका में सुधार संबंधित किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की गई है।

29. निरर्थक व्यय

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार (प्रत्रांक 2917 दिनांक 05.06.08) द्वारा प्रशासनिक एवं तकनीकी भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2008–09 में आरा नगर निगम को₹ 25 लाख प्राप्त हुआ।

आरा नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति के बैठक (प्रस्ताव सं0 6) में प्राप्त राशि से निगम के मुख्य भवन से दक्षिण पश्चिम खाली भूमि पर एनेक्सी भवन बनाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ एनेक्सी भवन का नक्सा

तैयार करने का निर्णय जे0 के0 आर्किटेक्ट के पक्ष में लिया गया उन्हें पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर डी0 पी0 आर0 तैयार कर प्राप्त करने को कहा गया। जे0के0 आर्किटेक्ट द्वारा प्रस्तावित प्राक्कलन ₹ 3023794.00 (ग्राउन्ड फलोर प्रथम फलोर ₹ 2476490.00 बिजली एवं अन्य कार्य ₹ 495298.00 आर्किटेक्ट की ₹ 52006) का दिया गया (तिथि अंकित नहीं)। प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति ₹ 3023794.00 का मुख्य नगर अभियंता (आरा नगर निगम) द्वारा दिनांक 21.10.2008 को दिया गया था।

दिनोक 22.10.2008 (प्रस्ताव सं0 15 के अन्यान्य (।।) को हुई सशक्त स्थायी समिति की बैठक में एनेक्सी भवन के निर्माण हेतु कुल राशि ₹ 3023794.00 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई । इस मद में सरकार से प्राप्त 25 लाख से अधिक की राशि 523794.00 रूपये की मांग सरकार से करने का निर्णय भी लिया गया।

विभिन्न अखबारों के माध्यम से दिनांक 15.11.08 को निविदा आमंत्रण सूचना (संख्या 34/2008) निकाला गया। निविदादाताओं मे से जय बजरंग कन्सट्रक्सन (श्री प्रवल प्रताप सिंह) का दर न्यूनतम पाया गया जो प्राक्कलित राशि से 9% अधिक था। संवेदक की सहमति से प्राक्कलित राशि (29.72 लाख) से 7% अधिक राशि अर्थात ₹3180040.00 रूपये पर कार्य आंवटन की स्वीकृति जय बजरंग कन्सट्रक्सन के पक्ष में दी गई। मुख्य अभियंता को स्वीकृति के अनुरूप कार्य आवंटन आदेश, एकरारनाम तथा कार्यादेश निर्गत करने के लिए प्राधिकृत किया गया। तदनुरूप कार्यावंटन (ज्ञापां 62/न0 वि0 दि0 24.12.09) कार्यादेश (ज्ञापांक को 131/अभि0 दिनांक 17.05.09) एवं दिनांक 17.05.09 को एकरारनामा किया गया। संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया जिसकी विवरणी इस प्रकार हैं

कुल कार्य (दिनांक 08.04.10 तक) ₹1249788.00 (प्रथम+द्वितीय+तृतीय मापी के आधार पर)

संवेदक को शुद्व भुगतानः– ₹1037731.00

विभिन्न प्रकार की कटौतियॉः– ₹212057.00

(सुरक्षित जमाः–₹ 62489.00 बिक्री करः– ₹ 49991 आय कर ₹ 28245.00 विलम्ब शुल्कः– ₹62077.00 रायल्टी एवं अन्यः– ₹ 9255.00)

मुख्य नगर अभियंता (ज्ञापांक 87/अभि0 दि0 18.05.10) द्वारा कार्य में धीमी प्रगति से संबंधित स्पष्टीकरण संवेदक (जय बजरंग कन्सट्रक्सन) से पूछा गया। दिनांक 25.05.10 को उपर्युक्त पत्र के जबाव में संवेदक द्वारा यह बताया गया कि बिना प्राक्कलन का ही निविदा निष्पादन कर यह कार्य का आवंटन मुझे कर दिया गया है। प्राक्कलन के बिना कार्य करने में काफी कठिनाई होती हैं। प्राक्कलन के कारण कार्य में विलम्ब होना विभाग की जिम्मेवारी है।

इस पत्र के जबाव में मुख्य नगर अभियंता (ज्ञापांक 104 दिनांक 07.08.10) ने इसे सरासर झूठा एवं वेवुनियाद बताया। कार्य में विलम्ब के लिए संवेदक को जिम्मेवार ठहराया)।

इस संबंध में नगर विकास विभाग से सम्पर्क कर उनसे तकनीकी मतव्य मांगा गया। मुख्य अभियंता,नगर विकास एवं आवास विभाग (पत्रांक 21 न0 वि0 एवं आ0 वि0 दिनांक 02.12.10 ने अपना मंतव्य इस प्रकार दिया

(i) निर्माण के उपरान्त निरूपण का मामला नहीं बनता है बल्कि तकनीकी अन्वेषण के आधार पर भार विश्लेषण करना होगा।

(ii) Core Cutting का नमूना लेकर तकनीकी प्रयोगशाला में जॉच कराना होगा।

(iii) यदि निर्माण में स्वीकृत प्राक्कलन एवं आरेखन से कोई विचलन कर निर्माण कराया गया है तो निर्माण को अवैध मानते हुए आरोप का विषय बनता है। दिनांक 26.04.11 को संवेदक (मेसर्स जय बजरंग कन्सट्रक्शन) ने नगर आयुक्त , आरा नगर निगम को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अभियंताओं को दोषी ठहराया है। उन्होंने अद्यतन कार्य की मापी कर एवं उसका भुगतान कर एकरारनामा बंद करने का अनुरोध किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व के दर पर कार्य को करना वर्तमान में संभव नहीं हैं।

उपर्युक्त धटनाक्रम से पता चलता है कि योजना के आवंटन में तत्परता दिखाई गई उच्चस्तीरय जॉच आवश्यक प्रतीत होता है। वर्त्तमान में योजना के $2^{1/2}$ वर्ष बीत जाने के बाद भी कार्य अपूर्ण था। इस प्रकार योजना पर किया गया व्यय ₹12.50 लाख निष्फल प्रतीत होता है।

मुख्य अभियंता आरा नगर निगम द्वारा यह बताया गया कि प्रधान सचिव (नगर विकास विभाग) द्वारा तकनीकी टीम भेजने या निर्णय लिया गया था जिनका कार्यस्थल पर भ्रमण अभीतक संभव नहीं हो सका है उनके मार्गदर्शन के अभाव में आगे कार्य करना संभव नहीं हो पा रहा है। उपर्युक्त जबाब अंकेक्षण में मान्य नहीं है क्योंकि योजना के बनाने के पूर्व एवं कियान्वयन में पर्याप्त तकनीकी सहायता ली जाती है एवं इस कार्य में भी ली गई है अतएव तकनीकी मार्गर्शन का बहाना सही प्रतीत नहीं होता है स्पष्टतः यह सिर्फ आपसी खींचातान का मामला है।

30. <u>एन0 जी0 ओ0 को भुगतान</u>

"दिशा एक प्रयास" सामाजिक संगठन को आरा नगर निगम अन्तर्गत पॉच वार्डो (वार्ड सं0 16,29,30,31,एवं 35) की सफाई का जिम्मा सौंपा गया जिसमें उन्हें प्रति वार्ड (प्रतिमाह) ₹13400.00 रूपये भुगतान करना था। अंकेक्षण में एन0 जी0 ओं0 एवं आरा नगर निगम के बीच में हुए एकरारनामा एवं अन्य सेवा–शर्तो संबंधित संचिका उपलब्ध नहीं कराई गई अतएव विस्तृत रूप में जॉच करना संभव नहीं हो सका।

रोकड़ पंजी एवं अभिश्रवों के नमूना जॉच में पाया गया कि वर्ष 2010–11 में दिशा एक प्रयास" सामाजिक संगठन को रू0 885239.00 का भुगतान किया गया (विवरणी परिशिष्ट सं0–X पर)।

मुख्य सफाई निरिक्षक एवं नगर प्रबंधक द्वारा दिनांक 13.09.10 को दैनिक निरीक्षण के क्रम में वार्ड सं0 16,35 एवं 29 का निरीक्षण किया गया जिसमें कई त्रुटिया पाई गई। लेखा परीक्षा के दौरान मस्टर रोल के नमूना जॉच में कई त्रुटियॉ दृष्टिगत हुई यथा–मस्टर रोल पर मजदूरों के नाम के साथ पता, पिता, का नाम वर्ग/अनु0 जा0/जनजाति) इत्यादि नहीं लिखा गया था। जिससे उनके द्वारा किया गया कार्य संदिग्ध था।

उपर्युक्त बिन्दुओं पर स्पष्ट स्पष्टीकरण के अभाव में एन0 जी0 ओ0 को भुगतान की गई राशि रू0 885239.00 को अंकेक्षण आपत्ति के अन्तर्गत रखी जाती है। उपर्युक्त त्रुटियों एवं कमियों के बावजूद भुगतान किए जाने के कारणों की व्याख्या अगले अंकेक्षण में की जाय।

31. <u>लॉग बुक</u>

आरा नगर निगम में सफाई कार्य हेतु विभिन्न प्रकार के गाड़ियों का इस्तेमाल होता है। अंकेक्षण में संबंधित गाड़ियों का लॉगबुक का उपस्थापन अंशतः हुआ। अभिश्रवों की जॉच में पाया गया कि 37265.00 का व्यय ईधन के रूप में किया गया जिसकी विवरणी इस प्रकार है।

क्रम सं0	अभिश्रव सं0 / दिनांक	राशि	बिल की अवधि	पेट्रोल पं0 का नाम	दी गई मात्रा एवं दर	कुल राशि
1	326 / 14.09.10	17804.00	01.06.10 से 30.06.10	साधना यातायात गौसगंज आरा	170 लीटर डीजल @ 37.95	17804.00
2	346 / 14.09.10	19461.00	01.07.10 से 31.07.10	–तथैव–	485 लीटर डीजल @39.95 मोविल 1 लीटर @183.00	19278.00 183.00
					कुल	37265.00

लौग बुक के अभाव में जे0 सी0 बी0 मशीन पर किये गया व्यय की जॉच नहीं की जा सकी। अतः अगले अंकेक्षण में लॉग बुक उपलब्ध कराया जाये

32. <u>विज्ञापन पर अनियमित व्यय</u>

प्रमाणकों की नमूना जाँच में पाया गया कि वर्ष 2010–11 में आरा नगर निगम द्वारा विज्ञापनों में सरकारी नीति का अनुपालन नहीं करते हुए रू0 492875.00 का अनियमित भुगतान विभिन्न विज्ञापन एजेंसी को किया गया। (विस्तृत विवरणी परिशिष्ट सं0– XIपर)।

12 मार्च 2008 को प्रकाशित बिहार गजट के असाधारण अंक में विज्ञापन के प्रकाशन एवं भुगतान के लिए बिहार विज्ञापन नीति, 2008 का संकल्प लिया गया जिसमें सरकार के स्वामित्व/ नियंत्रणाधीन निगम में यह प्रावधान। अप्रैल 2008 से लागू होने की घोषण की गई। इस संकल्प के कंडिका (6) के अनुसार किसी विभाग से प्राप्त विज्ञापन में परिवर्तन/संशोधन एवं भुगतान करने का अधिकार सूचना एवं जनसर्म्पक विभाग (बिहार सरकार) को होगा।

परन्तु आरा नगर निगम द्वारा उक्त निर्देशों की अवहेलना करते हुए विज्ञापनों को मनचाहे व्यवसायिक दर पर पंजीकृत/गैर पंजीकृत एजेंसी के माध्यम से प्रकाशित कराया गया जो अनियमित एवं सरकार के विज्ञापन नीति के प्रतिकूल था।

स्पष्टीकरण के अभाव में विज्ञापन पर भुगतान की गई राशि रू0 492875.00 को अंकेक्षण आपत्ति के अन्तर्गत रखी जाती है।

(18)

33. वार्षिक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं

नगर विकास विभाग, बिहार सरकार (पत्रांक–4न (2)–106196 1833/न0 वि0 वि0 दि0 23.06.2005) ने गृहकर वसूली की असंतोष जनक स्थिति के कारण शहरी निकायों को गृहकर वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों को अपने साधन स्त्रोत के प्रति उत्तदायी बनाना था। निकायों की उपलब्धियों के आधार पर ही मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यो का मुल्याकंन किया जाना था।

आरा नगर निगम द्वारा निर्धारित लक्ष्य ₹40679000.00 के विरूद्व वर्ष 2010–11 में गृहकर मद में मात्र ₹ 2505127. 75. की मात्र वसूली की गई (6.16%) जो निर्धारित लक्ष्य से काफी कम था।

निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करने का कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया।

अतः सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए यह सुझाव दिया जाता है कि अत्यन्त कम वसूली करने वाला व्यक्तियों पर जिम्मेवारी सुनिश्चित किया जाय एवं आवश्यक कार्यवाई की जाये तथा किये गये कार्यवाई से स्थानीय लेखा परीक्षक बिहार को सूचित किया जाये।

34. अग्रिम

आरा नगर निगम का अग्रिम पंजी अंकेक्षण के अंतिम दिन प्रस्तुत किया जिससे ज्ञात हुआ कि पूर्व वर्षो का अग्रिम का समायोजन नहीं किया एवं वर्ष 2010–11 में दी गई अग्रिम का इन्द्राज भी अग्रिम पंजी में नही था।

वर्ष 2010–11 के रोकड़ बही देखने से ज्ञात हुआ कि श्री पुष्कर नारायण सिंह को विभिन्न कार्यों के लिए अग्रिम दिया गया था लेकिन उसका समायोजन नहीं किया गया था, संबंधित विवरणी नीचे दिया गया है।

क्रम सं0	नाम	अभिश्रव सं0/दिनांक	राशि	अभियुक्ति
1	पुस्कार नारायण सिंह	70/08.05.10	22000.00	सरकारी केस में सलाह हेतु
		कुल	22000.00	

रू0 22000.00 का समायोजन/वसूली कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

35. नगर आयुक्त से वार्त्तालाप :–

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों के सम्बन्ध में समय–समय पर चर्चा की गई लेकिन उनके अवकाश पर रहने के कारण अंतिम समय में फाइनल वार्त्तालाप नहीं की जा सकी।

36. लेखा परीक्षा परिणामः–

लेखा परीक्षा के परिणाम निम्न हैं:–

(i) लेखा परीक्षा के क्रम में जमा कराई गई राशि ₹46614.00

(ii) वसूली हेतु सुझाई गई राशि ₹ 3223132.00

(iii) आपत्ति के अधीन रखी गई राशि ₹1415375.00

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट सं0 XII पर)

37. सामान्य अभ्युक्तियॉः–

अभिलेखों का संधारण संतोषप्रद नहीं था। कई प्रमुख अभिलेख तथा ऑडिट, रजिस्टर , अनुदान पंजी, अग्रिम पंजी, ऋण एंव ऋण विनियोग पंजी का संधारण नहीं किया गया था। सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत संचिका भी लेखा

परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। प्रतिवेदन में सन्निहित संडिकाओं से स्पष्ट है कि नियमावली में दिए गए अनुदेशों का पालन नहीं किया गया जिसके कारण अनियमित एवं राजस्व की क्षति जैसे क्रियाकलाप होते रहे। अधिकारियों का ध्यान भी निगम के प्रति एवं अंकेक्षण के प्रति उदासीन था खासकर योजना शाखा।

भविष्य में निगम के कार्यो के प्रति संबंधित अधिकारी सजग एवं सचेत रहने का कार्य करें एवं लंबित कंडिकाओं का अनुपालन करवाना भी सुनिश्चित करें।

श्यामनन्दन तिवारी
(एस0 एन0 तिवारी)
पर्यवेक्षक

(16)

संख्याः– एल0 ए0/सरचार्ज/410 दिनांक 02/01/2012

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/ नगर आयुक्त आरा नगर निगम, आरा को प्रतिवेदन अग्रसारित करते हुए अनुरोध किया जाता है कि इस प्रतिवेदन के प्राप्ति के तीन महीने के अंदर अनुपालन प्रतिवेदन स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना को भेजें जाए।

ह0/-

व0 ले0 प0 अधि0 (अधिभार)

संख्याः– एल0 ए0/सरचार्ज/411 दिनांक 02-01-2012

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सूचानर्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित

(1) प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना

(2) जिला पदाधिकारी भोजपुर (आरा)

सत्यदेव सिंह
2/01/2012
व0 ले0 प्र0 अधि0 (अधिभार)